

भर्ती से संबंधित आवश्यक निर्देश

विषय :-आर.आर.बी अजमेर द्वारा प्राप्त पेबैंड 9300-34800+ग्रेड पे.4200.पद JE TRS CAT NO.54 में दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति हेतु।

संदर्भ :-पत्र सं पमरे/का.मुख्या/भर्ती/110/03 JE TRS Cat No.54 दि. 03.03.2020.

---000---

1. उपर्युक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपका चयन JE TRS Cat No.54 के पद पर हुआ है आपको दि. 29.07.2020 सुबह 9.30 बजे आपको मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (का) जबलपुर के भर्ती अनुभाग में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। अतः आप अपने संपूर्ण दस्तावेज wcr की वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in → news & update → news & announcement 2020 में जाकर document download कर पूर्ण कर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो।
 2. आप अपनी दस नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो एवं विश्वविद्यालय/उच्चतर माध्यमिक कॉलेज प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो/जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उनकी मूल प्रति अपने साथ लायें, अपनी शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची एवं जाति प्रमाणपत्र का ऑनलाईन सत्यापन कर लायें।
 3. अगर आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्य हैं तो आपको केन्द्र सरकार की सेवा के लिये निर्धारित (संलग्न प्रोफार्मा), पर जिलादंडाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 4. अगर आप निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। संतोषजनक प्रशिक्षणपूर्ण करने एवं अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही मंडल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर निम्न शर्तों के अनुसार आपकी नियुक्ति 9300-34800 पे बैंड+4200 ग्रेड पे में की जायेगी।
 5. आपकी पदस्थापना PVR संक्षांकन फार्म, शैक्षणिक दस्तावेज के सत्यापन के होने पर ही की जायेगी।
- क) प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं होने और प्रशिक्षणपूर्ण होने के उपरांत अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में PVR संक्षांकन फार्म, शैक्षणिक दस्तावेज सत्यापन नहीं होने तथा विपरीत रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग-1 में निहित नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आपकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- ख) संतोषजनक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर आप अस्थायी पद पर अस्थायी रोजगार/नियुक्ति के पात्र होंगे और अस्थायी कर्मचारी पर लागू नियमों से शासित होंगे।
- ग) स्थाई संवर्ग में आपकी नियुक्ति स्थाई कर्मचारी के रूप में तभी की जावेगी जब उस संवर्ग में स्थान रिक्त होगा।
- घ) रेलवे बोर्ड के पत्र क.एफ(ई)।।।/2003/पी.एन-1/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2004 से केन्द्रीय सरकार सेवा जिसमें रेलवे सेवा भी शामिल है में भर्ती होने वाले कर्मचारियों जिनकी तैनाती 01 जनवरी 2004 को या उसके बाद की गई है उन पर न्यू रिस्ट्रक्चरिंग डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम लागू होगा उन्हें अतिरिक्त असाधारण पेंशन और कम्यूटेशन आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. आपको इस कार्यालय में 100/- रुपये के (नॉन जुडिशियल) स्टाम्प में आपके द्वारा सेवा शर्तों को स्वीकार करने का वचनबद्ध किया जावेगा और साथ ही एक रेल कर्मचारी/शासकीय कर्मचारी वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4200 धारक तथा उक्त ग्रेड पे से कम न हो एवं श्रम भुगतान अधिनियम से शास्ति हो द्वारा आपकी श्योरिटी लेनी होगी।
8. चरित्र प्रमाण पत्रों की दो प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है इनमें से एक उस शैक्षणिक संस्था के प्रधान से हस्ताक्षरित करवाएँ जहाँ पर आपने अपनी अंतिम शिक्षा पूरी की हो और दूसरा उस नियुक्ता से हस्ताक्षरित करवाएँ जिसके पास आप सेवा रत हैं जोकि अनापत्ति प्रमाण पत्र है। (यदि आप कहीं सेवारत हैं) यदि आप कहीं सेवारत नहीं हैं तो दूसरा प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से अस्ताक्षरित करवायें लेकिन उस प्रचार्य से नहीं जिसके पास आप शिष्य रह चुके हैं। उक्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम/तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिये। इन चरित्र प्रमाण पत्रों एवं अटेस्टेशन फॉर्म की अवधि छः माह से अधिक पुराने न हो।
9. अटेस्टेशन फार्म संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है जिसे तीन प्रतियों में पूरी तरह से भरकर एवं प्रथम पृष्ठ पर फोटो चस्पा कर राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर जमा करें एवं अंतिम पृष्ठ पर राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक द्वारा हस्ताक्षरित कर जमा करें।
10. किसी भी बैंक में खाता खोलकर बचत खाते की फोटो प्रति जमा करें इसी खाते पर आपके वेतन का भुगतान किया जायेगा। यह किसी भी बैंक में किसी भी शहर का खाता हो सकता है जो को बैंकिंग वाला हो साथ ही पेन कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करें। एक कैंसिल किया हुआ चेक अवश्य लेकर आयें, बिना इसके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।
11. प्रान फॉर्म की तीन प्रतियाँ आपको भेजी जा रही है जिसे पूर्ण विवरण (काली स्याही) सहित भरें।
12. भारतीय रेल स्थापना नियमावली भाग-1 के पैरा 104 के अनुसार पदस्थापना के दो वर्ष तक आपकी परिवीक्षा अवधि रहेगी। जो अभ्यर्थी अप्रेंटिस/ट्रेनी के रूप में भर्ती होंगे उनकी परिवीक्षा अवधि ट्रेनिंग समाप्ति के बाद प्रारंभ होगी।
13. प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि में भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग-1 (IREC-1) के पैरा 301 (1)(सी) के तहत आपकी सेवाएँ एक माह की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं। कृपया उक्त सभी शर्तों को नोट करें एवं स्वीकार करते हुए भर्ती के समय उपस्थित होने पर इस पत्र के साथ जमा करें।

घोषणा

मैंने.....उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़/समझ लिया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ तथा मुझे ज्ञात है कि प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने अथवा बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर मेरी सेवाएँ उपरोक्तानुसार समाप्त की जा सकेंगी।

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्न: उपरोक्तानुसार

**RRB CAT NO 54 JE ELECTRICAL/TRS candidates called for
Document verification DATE 29 .07.2020
JBP DIVISION WCR**

S. N.	NAME	CAT/DESGN DEPTT
1	NITIN KUMAR VYAS	54 JE ELECTRICAL/TRS
2	ARJUN SHARMA	54 JE ELECTRICAL/TRS
3	MAHIPAR SINGH RAJPUR	54 JE ELECTRICAL/TRS
4	CHANDRA KUMAR PATEL	54 JE ELECTRICAL/TRS
5	RISHABH KATARIA	54 JE ELECTRICAL/TRS

साक्ष्यांकन फार्म
ATTESTATION FORM

चेतावनी :--साक्ष्यांकन फार्म में गलत जानकारी देना या वास्तविक जानकारी छिपाना अयोग्यता समझी जायेगी और इससे उम्मीदवार सरकारी सेवा के अयोग्य भी ठहराया जा सकता है ।

Warning :- The furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification, and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

2. यह फार्म भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार पकड़ा गया हो, उसे सजा हुई हो, वंचित किया गया हो आदि, तो उसे इसके बारे में लोक सेवा आयोग या रेल सेवा आयोग या उस अधिकारी को, जिसको पहले साक्ष्यांकन पत्र भेजा गया हो, जैसी स्थिति हो, शीघ्र लिख देना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वास्तविक जानकारी छिपायी गयी है ।

If detained, convicted, debarred etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the Union Public Commission or the Railway Service Commission or the Authority to whom the attestation form has been sent earlier, as the case may be, failing which will be deemed to be a suppression of factual information.

3. यदि नौकरी के दौरान किसी भी समय साक्ष्यांकन पत्र में यह पाया गया कि गलत जानकारी दी गयी है या वास्तविक जानकारी छिपायी गयी है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी ।

If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice at any time during the service of person, his/her service would be liable to be terminated.

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) उर्फ नाम सहित, यदि हो, Name in full (In Block Capitals) with aliases, if any (कृपया लिखें, यदि किसी समय अपने नाम या कुल नाम में कभी कुछ जोड़ा या घटाया हो) (Please indicate if you have added or dropped at any stage any part of your name or surname)	कुल नाम Surname	नाम Name
2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नम्बर, गल्ली सड़क/ मार्ग और कस्बा) Present address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town.)		
3. (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नम्बर, गल्ली सड़क/मार्ग और कस्बा और जिला मुख्यालय का नाम) (a) Home address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town and name of District Head Quarters.) (ख) यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हो तो वहां का पता और भारतीय संघ में आने की तारीख (b) If originally resident of Pakistan, the address in the Country and the date of migration to Indian Union.		

4. स्थानों का विवरण निवास की अवधि सहित जहां अपने पिछले पांच वर्षों में एक स्थान पर एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है। यदि विदेश (पाकिस्तान सहित) में रहे हों, तो उन सभी स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए जहां 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद एक वर्ष से अधिक रहा हो।

Particulars of places with periods of residences where you have resided for more than one year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan) particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given.

से From	तक To	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नम्बर गली/सड़क/मार्ग और कस्बा) Residential address in full (i.e., Village, Thana and Distt. or House No. Lane/Street/Road and Town)	पिछले कालम में दिये गये स्थान के जिला मुख्यालय का नाम Name of the District Headquarters of the place mentioned in the preceding Column.

5. पिता का/Father's :-

- (क) पूरा नाम, उर्फ नामों सहित, यदि हो,
(a) Name in full with aliases, if any
- (ख) वर्तमान डाक का पता (यदि मृत हो तो अंतिम पता लिखें)
(b) Present postal address (If dead, last address)
- (ग) घर का स्थायी पता
(c) Permanent Home Address
- (घ) व्यवसाय
(d) Profession
- (ङ) यदि सेवा में हो तो पदनाम और कार्यालय का पता लिखें।
(e) If in service, give designation and official address.

(क)

(a)

(ख)

(b)

(ग)

(c)

(घ)

(d)

(ङ)

(e)

6. राष्ट्रियता/Nationality of :-

- (i)
(क) पिता
(a) Father
(ख) माता
(b) Mother
(ग) पति-पत्नी
(c) Husband/Wife
(घ) उम्मीदवार
(d) Candidate
पति/पत्नी का जन्मस्थान
(ii) Place of birth of Husband/Wife

(क)

(a)

(ख)

(b)

(ग)

(c)

(घ)

(d)

(ii)

(क) जन्मतिथि (a) Date of Birth	(क) _____ (a) _____
(ख) वर्तमान आयु (b) Present age	(ख) _____ (b) _____
(ग) मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु (c) Age of Matriculation	(ग) _____ (c) _____
8. (क) जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें स्थित हो (a) Place of birth, District and State in which situated.	(क) _____ (a) _____
(ख) जिला और राज्य जिस के निवासी हों (b) District and State to which you belong	(ख) _____ (b) _____
9. (क) आपका धर्म (a) Your Religion	(क) _____ (a) _____
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं हां या नहीं उत्तर दें और यदि उत्तर हां हो, तो उस जाति का नाम लिखें । (b) Are you a member of a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe ? Answer 'Yes or No' and if the answer is 'Yes' state the name thereof.	(ख) _____ (b) _____

7. शैक्षणिक योग्यता :-

15 वर्ष की आयु से स्कूलों और कालेजों में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि और स्थान के साथ :-

Educational Qualifications showing places of education with years in Schools and Colleges since 15th year of age :-

स्कूल/कालेज के नाम सहित पूरा पता Name of School/College with full address	प्रवेश-तिथि Date of entering	छोड़ने की तिथि Date of leaving	उत्तीर्ण परीक्षा Examination Passed

11. यदि आपकी कभी नियुक्ति हुई हो, तो उसका विवरण दें :-

If you have at any time been employed, give details :-

पदनाम या कार्य का विवरण Designation of post held or description of work	अवधि Period		कार्यालय, फर्म या संख्या का पूरा पता Full address of the office, firm or institution	पिछली नौकरी छोड़ने के पूरे कारण Full reasons for leaving the previous service
	से From	तक To		

11. (ख) यदि पिछली नौकरी भारत सरकार/राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा नियंत्रित योजना या राज्य सरकार/स्वायत्त शासन/विश्व विद्यालय/स्थानिय निकाय के अन्तर्गत की गयी हो :-

(B) *If the previous employment was under the Government of India/a State Government/an undertaking owned or controlled by the Government of India or a State Government/an Autonomous Body/a University/a Local Body :-*

यदि आपने भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 149 के अधीन या केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5 या इसी प्रकार के अन्य नियमों के अधीन आवश्यक अवधिका नोटिस देकर नौकरी छोड़ी हो तो क्या उस समय या बाद में अथवा आपकी नौकरी खत्म होने से पहले आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी या किसी मामले में आपके आचरण का स्पष्टीकरण मांगा गया ?

If you had left service on giving the requisite period of notice under Rule 149 of the Indian Railway Establishment Code or Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules "1965" or any similar corresponding Rules, were any disciplinary Proceedings framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service, or at a subsequent date, before your services actually terminated.

12. (क) क्या आपको कभी पकड़ा गया/गिरफ्तार किया गया नजर-बंद किया गया/मुचलका लिखाया गया/जुर्माना या किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया या किसी रेल या लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षाओं/चुनाओं में भाग लेने से वंचित किया गया या अयोग्य ठहराया गया या किसी विश्व विद्यालय या किसी शैक्षणिक प्राधिकारी/संस्था द्वारा निकाला गया/किसी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया ?

(a) Have you ever been arrested, prosecuted, kept under detention, or bound down/fined, convicted by a Court of Law of any offence or debarred/disqualified by any Railway or Public Service Commission from appearing at its examinations/selections or debarred from taking any examinations/rusticated by any University or any other Educational Authority/Institution ?

(ख) क्या यह साक्ष्यांकन फार्म भरते समय किसी न्यायालय में/या विश्व विद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है ?

(b) Is any case pending against you in any Court of Law, University or any other Educational Authority/Institution at the time of filling this attestation form ?

(ग) यदि (क) और (ख) का उत्तर 'हां' हो, तो न्यायालय/विश्व विद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकारी आदि के पास चल रहे मुकदमों का पूरा विवरण गिरफ्तार, नजरबन्दी जुर्माना, दोष सिद्धि सजा आदि, लिखनी चाहिए।

(c) If the answer to (a) or (b) is 'Yes' full particulars of the case, arrest, detention, fine, conviction, sentence etc. and the nature of the case pending in the Court/ University Educational Authority etc. at the time of filling up this form, should be given.

टिप्पणी :- इस साक्ष्यांकन फार्म के उपर लिखी गयी 'चेतावनी' भी पढ़िये।

Note :- Please also see the 'Warning' at the top of this attestation form.

13. अपने इलाके के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या आपसे परिचित दो व्यक्तियों के नाम	(1) _____ _____
Name and addresses of two responsible persons of your locality or two references to whom you are known.	(2) _____ _____

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति से अवगत नहीं हूँ जो मुझे सरकारी नौकरी से अयोग्य ठहरा सके।

I certify that the foregoing informations is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

दिनांक /Date _____

स्थान/ Place _____

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
Signature of Candidate

पहचान प्रमाण-पत्र IDENTITY CERTIFICATE

निम्नलिखित में से कोई भी पहचान प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं :-

Certificate to be signed by any one of the following :-

- केन्द्रीय या राज्य सरकार के कोई भी राजपत्रित अधिकारी
Gazetted Officers of Central or State Government.
- संसद या राज्य विधान सभा के सदस्य
Members of Parliament or State Legislature.
- उप मंडल मैजिस्ट्रेट/अधिकारी
Sub-Divisional Magistrates/Officers.
- तहसिलदार या नायब/उप तहसिलदार जिन्हें मैजिस्ट्रेट के अधिकारी का प्रयोग करने का प्राधिकार प्राप्त हो।
Tehsildars or Naib/Deputy Tehsildars Authorised to exercise magistral powers
- सभी मान्य शैक्षणिक संस्थाओं जिनमें प्राथमरी स्कूल भी शामिल हैं, के प्राचार्य और मुख्य अध्यापक।
Principals and Head Masters of all recognised institution including Primary School.
- खण्ड विकास अधिकारी / Block Development Officer.
- डाकपाल / Post-Masters.
- पंचायत निरीक्षक / Panchayat Inspectors.

प्रमाणित करता हूँ कि मैं श्री _____ के पुत्र/
पुत्री श्री/श्रीमती/कुमारी _____ को गत _____ वर्ष
_____ महीने से अच्छी तरह जानता हूँ तथा मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उसके द्वारा दिये गये विवरण सही हैं।

Certified that I have known Shri/Shrimati/Kumari _____
son/daughter of Shri _____ for the last _____ years
furnished by him/her are correct.

स्थान / Place _____

दिनांक / Date _____

(कार्यालय द्वारा भरा जाय)
(To be filled by the office)

हस्ताक्षर / Signature

पदनाम या ओहदा और पता
Designation or Status and Address

- नाम, पदनाम और पूरा पता
Name, designation and full address of
- प्राधिकारी, जो सत्यापन करता हो, और
The Authority which conducts the verification, and
- प्राधिकारी, जिसको जिला प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भेजी जाये।
The Authority to whom the reports have to be sent by the District Authorities.
- पद, जिस या जिनके लिये उम्मीदवार ने आवेदन किया है और जिसके लिये रेल सेवा आयोग या अन्य चयन प्राप्तिकारी द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है।
Post or Posts for which the candidates applied and for which he is being considered by the Railway Service Commission or other Selecting Authority.

प्रति,

श्रीमान् मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पश्चिम मध्य रेल जबलपुर

विषय : बैंक से वेतन भुगतान कराने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को
पद पर नियुक्ति दी गई है। मैं अपना वेतन
..... बैंक के माध्यम से लेना
चाहता/चाहती हूँ। मेरा बैंक खाता नं..... है।

नोट : बैंक खाता नं. कोर बैंकिंग ब्रॉच का होना चाहिए जो 11 से 15 डिजिट का होता है।

धन्यवाद।

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम :

बैंक का नाम :

स्थान :

खाता नं:

CHARACTER CERTIFICATE
FROM HEAD OF EDUCATIONAL INSTITUTION LAST
ATTENDED
(For group C & D Non-Sensitive Service)

Certified that I known Shri/Smt/Kumari _____
 Son/Wife/Daughter of Shri _____
 from the last _____ Years _____ Months and that to the best of my
 knowledge and belief. He

She bears reputable character and has no which may render him/her
 unsuitable

for Government employment

Shri/Smt/Kumari _____ is not
 related to me.

Place _____

Date _____

Signature

Designation
 Seal

(To be attested by stipendiary 1st class Executive Magistrate/ District
 Magistrate or Sub-Divisional Magistrate)

Signature

Designation
 Seal

FORMAT "B"

CHARACTER CERTIFICATE
FROM GAZETTED OFFICER
(For group & Non-Sensitive Service)

Certified that I Known Shri/Smt/Kumari _____
Son/Wife/Daughter of Shri _____
from the last _____ Years _____ Months and that to the best of my
knowledge and belief He /She bears reputable character and has no
which may render him/her unsuitable for Government employment.

Shri/Smt/Kumari _____ is not
related to me.

Place _____

Date _____

Signature
Designation
Seal

(To be attested by stipendiary Ist class Executive Magistrate/ District
Magistrate or Sub-Divisional Magistrate)

Place _____

Date _____

Signature
Designation
Seal

This should be done before the candidate has been finally selected for Appointment

घोषणा पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी यह
 घोषणा करता / करती हूँ कि तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के पद से
 संबंधित मेरे द्वारा भरे गये सम्पत्ति फार्म में दी गई जासूसी पूर्ण तथ्य है यदि
 संलग्न फार्मों में भरा गया विवरण अर्थात् जन्मतिथि शिक्षा प्रमाण पत्र जाति प्रमाण
 पत्र केजुबल कार्ड किसी तरह से रेल प्रशासन द्वारा जाँच कराये जाने पर या
 किसी के द्वारा शिकायत किये जाने पर जाँच में गलत पाया जाता है तो रेल
 प्रशासन के द्वारा मुझे बिना किसी नोटिस के नौकरी से अलग करने पर मुझे कोई
 आपत्ति नहीं होगी और ना ही मुझे इसके लिये अपील करने का कोई अधिकार
 होगा।

संलग्न फार्म

01. पारिवारिक विवरण
02. चरित्र प्रमाण पत्र (अ एवं ब)
03. जाति प्रमाण पत्र
04. रपॉरिटी बॉन्ड
05. साहस्यार्जन फार्म

आवेदक के हस्ताक्षर

रेल कर्मचारी के दो गवाह
 (जो रेल कर्मचारी ही हों)

क्रमांक	गवाह का नाम	पदनाम	स्टेशन	हस्ताक्षर
01				
02				

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POST UNDER
THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Ku.....son/daughter of
Shri/Smt.....of
Village/Town.....
District/Division..... in the
community which is recognized as a backward class under:-

- i) Resolution No.12011/68/93-BCC dated the 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No.186 dated 13th September, 1993.
- ii) Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19.10.1994 published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No.163 dated 20th October, 1994.
- iii) Resolution No.12011/7/95-BCC dated the 24th May 1995, published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No.88 dated 25th May, 1995.
- iv) Resolution No.12011/96/94-BCC dated the 9th March, 1996
- v) Resolution No.12011/44/96-BCC dated the 6th December 1996, published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No.210 dated 11th December, 1993.
- vi) Resolution No.12011/13/97-BCC dated the 3rd December 1997
- vii) Resolution No.12011/99/94-BCC dated the 11th December 1997
- viii) Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999
- ix) Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December 1999, published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No.270 dated 6th December 1999.
- x) Resolution No.12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000, published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No.71 dated 4th April, 2000
- xi) Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21st September 2000, published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No.210 dated 21st September 2000

Shri/Smt./Ku.....and/or his family
ordinarily reside(s) in the District/Division..... of
the State.

This is also to certify that he/she does not belong to the persons/section (Creamy Layer) mentioned in column B of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 09.03.2004.(FTM).

District Magistrate or
Deputy Commissioner etc.

Dated:

Seal:

Note: (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue Caster Certificate are indicated below:

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub Division Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra-Assistant Commissioner (not below the rank of 1st class stipendiary Magistrate)
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family resides.

परिवार घोषणा पत्र

कर्मचारी का नाम

जन्म तिथि

पदनाम व कार्य स्थान

क्र	नाम सर्वश्री/श्रीमति/कुमारी	जन्म तिथि	रेल कर्मके साथ संबंध	अधार नं.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उक्त विवरण में वर्णित परिवारजन पूरी तरह मुझ पर आश्रित है तथा उनकी आय का अन्य साधन नहीं है।

उक्त विवरण में पूरे होशोहवास तथा बिना किसी दबाव के दे रहा हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

नाम

100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से नोटराइज्ड (शपथ पत्र) करवा कर लावें ।

मंडल रेल प्रबंधक, पमरे/जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत करने बाबत ।

मैं आत्मज्ञ श्री

सत्यनिष्ठा के निम्नलिखित घोषणा करता हूँ ।

1. यह कि, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र / अंकसूची में दर्शित अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं पिता का नाम सही है ।
2. यह कि मेरे शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची व प्रमाण पत्र पूर्णरूपेण सही है ।
3. यह कि मेरी जाति है तथा यह जानकारी पूर्णरूपेण सत्य है तथा आवेदन के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र सही है ।
4. यह कि, मेरी नियुक्ति अस्थाई व प्रोवीजनल है तथा जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्त के तहत है ।
5. यह कि, मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण कभी भी दर्ज नहीं हुआ है एवं न ही लम्बित है । अगर मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण संज्ञान में आता है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये रेल प्रशासन मेरी रेल सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है ।
6. यह कि मेरी निष्ठा के समय मैं ते पुनः विवाह नहीं किया है । उपरोक्त जानकारी पूर्णरूपेण सत्य है तथा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है । असत्य व गलत जानकारी प्रदान करने पर रेल प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही कर रेल सेवा समाप्त कर सकता है ।

प्रार्थी

सत्यापन

दिनांक

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULE TRIBES IN SUPPORT OF HIS CLAIM.

FORM OF CASTE CERTIFICATE

This is to certify that Shri / Shrimati/Kumari _____
Son/Daughter of Shri _____
Of village/Town _____ in District/Division _____
Of the State/ Union Territory _____ belongs to the
_____ Caste / Tribe which is recognized as
Scheduled Caste/ Scheduled Tribe as under:-

The Constitution (Scheduled Caste) order 1950

The Constitution (Scheduled Tribes) order 1950

The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) order 1950

The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) order 1950

NB: As amended by the scheduled castes and scheduled tribes list (Modification) order, 1956, the Bombay reorganization Act, 1960, the Punjab reorganisation act, 1956, the state of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Area (Reorganisation Act, 1971 and the Scheduled castes and scheduled tribes order (Amendment) Act, 1975.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste order, 1956

The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1950

The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Caste order, 1962

The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes order, 1964

The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) order 1967

The Constitution (Goa, Daman, Diu) Scheduled Castes order, 1968

The Constitution (Goa, Daman, Diu) Scheduled Tribes order, 1968

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order, 1970

2. This Certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste / Scheduled Tribe Certificate issued to -

Shri/Shrimati/Kumari _____ Father/Mother of

Shri/Shrimati/Kumari _____

Of Village/Town _____ to District/Division _____

Of the State/Union Territory _____ who belongs to the

Caste Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

In the State/Union Territory _____

issued by the _____ vide their letter No. _____

(Name of prescribed Authority)

Dated _____

Signature : _____

Designation : _____

Seal

(With seal of Office.)

State/Union Territory.

Place : _____

Date : _____

Please quote Specific presidential order.

BOND OF INDEMNITY

This Bond of Indemnity made this day of two thousand..... By
Shri/Smt/Ku..... Son/Daughter
of..... residing at (Here in
referred to a trainees representative, where the context so admits) &
Shri..... Son of.....
resident at (Here after referred to a surety
which expression shall include his/her is, executors, administration & representative where the
context so admits) of the one part & President of India owner & Administrator of the West
Central Railway here in after referred to as the government, of the other part. Whereas the
government has engaged the trainees on the terms & conditions mentioned in the joining report
dated..... executed by & between the trainees & the government.

And whereas one of the terms & condition to the said engagement of the trainee is that
the trainees shall complete the prescribed training & after such completion shall accept service
under the government & serve the government, for a minimum period of five years & if the
trainee deserts service or resigned from service during the period of training or thereafter without
the written consent of the government or is discharged thereafter for misconduct of any other
offence is training or pay any other amount excluding travelling & running allowance drawn by
the trainee from the government under those terms & conditions.

Whereas the government has engaged the trainee on the terms & conditions mentioned in
the joining report dated..... executed by & between the trainee & the
government.

And whereas one of the terms & conditions to the said engagement of the trainee is that
the trainees shall complete the prescribed training & after such completion, shall accept trainees
desert service or resigned from service during the period of training or thereafter without written
consent of the government, or is discharged thereafter the misconduct of any other offence is
enumerated in the deed, the trainee shall be repaid or demand by the government the whole cost
of training or pay any other amount excluding travelling & running allowance drawn by the
trainee from the government under these & conditions.

And whereas the surety has agreed to indemnity & or to reimburse the govt. to the extent.
It is hereby agreed by add between the parties as follows:-

1. That in consideration of the promises add in consideration of the government agreeing to
engage the trainees for the course mentioned in the joining report referred to above, the
trainee after completing the training satisfactorily, shall serve the government for a
minimum period of five years thereafter in accordance with the said joining report
executed between the trainees & the government to the complete satisfaction of the
government (Decision of the government about which shall be final & conclusive).
2. That the trainee & the surety hereby undertake jointly & severally to indemnity &
reimburse the government to the extent aforesaid.

3. That in the event of the trainee getting an average report regarding the progress of his training or studies or conduct of discontinuing his studies or being discharged from the course or refused to continue for any reason not beyond the control of the trainee or does not continue in service as aforesaid, the trainees surety shall jointly and severally liable to pay and refund forthwith to the government on demand and without demand in cash all money expended on the training or on his account in aspect of his/her training course as stated above (and the decision of the government so as to training course as stated above and the decision of the government as to the amount so payable shall be final), together with interest on the said money calculated at the rate then in force for government loan.
4. That the ability of the surety hereunder shall not be impaired or discharge by reason of times being granted or any force bearance act or omission of the government or any person authorized by the government. (whether with or without the knowledge or consent of the surety) nor shall it be necessary for the government to use the training before issuing the surety for the amount due hereunder:-
5. That if there is any dispute as to the effect or earning of these person or otherwise however except as to matter for which specific provision has been made in these presence the same shall be referred in the sole arbitration at the Secretary to the Govt. of India in the Ministry of Railway of any person appointed by him whose decision shall be final and binding on the parties. The provision of the India arbitration act 1940 as amended from time to time shall apply. In witness where of the party man have set their hands on the day and first above mentioned signed by the trainees above named in the presence of.

Signature of the Candidate :

Signature of the Surety :

Name & Designation of surety & working place:

Rate of pay & grade of surety:

Address & Mobile No. :

.....

(Sign & Seal of in charge)

(Signed by the surety above named in presence of)

Name & designation of witness & working place

1. 2.

(For & on behalf of the President of India in the presence of)

1.

2.

(Sign & Seal of in charge)